चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ/नोडल अधिकारी एसओजी श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी/सर्विलांस के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा/खोये हुए कुल 110 अदद मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख 75 हजार रूपये है को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुम/खोए हुए मोबाइल के धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष व CEIR पोर्टल पर अपने मोबाइल खोने के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिये गये थे,जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम व थानों को गुम/खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये थे । प्रभारी

एसओजी/सर्विलांस टीम निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस एवं थानों के टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए 110 अदद गुमशुदा/खोया हुआ मोबाइल की बरामदगी करते हुए आज दिनाँक-01.12.2026 को मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल धारकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस की भूरी-भूरी प्रसंशा की।
आज दिनाँक-01.01.2026 को नववर्ष पर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया।
बरामदगीः-
110 अदद मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख 75 हजार रूपये)
बरामदगी करने वाली टीमः-
1. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
3. मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4. आरक्षी रोहित सिंह
5. आरक्षी आशीष यादव
6. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7. आरक्षी पवन राजपूत
8. आरक्षी राघवेन्द्र
9. आरक्षी रोशन सिंह
10. आरक्षी गोलू भार्गव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ चित्रकूट श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त कामता उर्फ पट्टू निषाद पुत्र स्व0 नत्थू निवासी ग्राम चंदेल का पुरवा मजरा वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध देशी रायफल 315 बोर व 04 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
01 अदद देशी रायफल 315 बोर
04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
आपराधिक इतिहास –
1.मु0अ0सं0- 54/01 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0- 76/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0- 156/93 धारा 394/324 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0- 07/06 धारा 147/148/149/364/201 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0- 09/06 धारा 147/148/149/307 भादवि व 14 DEA एक्ट थाना मऊ चित्रकूट
6.मु0अ0सं0- 10/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
7.मु0अ0सं0- 381/96 धारा 302/201 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
8.मु0अ0सं0- 102/09 धारा 302/504/506 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
9.मु0अ0सं0- 103/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट

10 मु0अ0सं0-85/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी
11.मु0अ0सं0- 01/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
गिरफ्तारी करने वाली टीम -
1.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला
3.आरक्षी दुर्गेश नंदन पटेल
4.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(4). राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनाँक 01 जनवरी2026 से 31 जनवरी2026 के अन्तर्गत आज दिनाँक 01 जनवरी2026 को कलेक्ट्रेट परिसर, सोनेपुर, कर्वी से जन जागरूकता एवं प्रचार वाहन को श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक एवं श्री अरूण कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर श्री अजय कुमार, उप जिलाधिकारी, कर्वी, श्री सौरभ यादव, उप जिलाधिकारी, श्री यामीन अहमद, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), श्री आर०पी० सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रीमती दीप्ति त्रिपाठी, यात्रीकर / मालकर अधिकारी, श्री रवि शंकर, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), श्री शैलेन्द्र सिंह, यातायात निरीक्षक एवं परिवहन विभाग के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर ई-रिक्शा की रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह प्रचार वाहन दिनाँक 01 जनवरी2026 से 02 जनवरी2026 तक जिला मुख्यालय, चित्रकूट, 03 जनवरी2026 से 04 जनवरी2026 तक राजापुर, 05 जनवरी2026 से 06 जनवरी2026 तक मऊ एवं दिनाँक 07 जनवरी2026 से 08 जनवरी2026 तक मानिकपुर तहसील में जन जागरूकता अभियान का प्रचार-प्रसार करेगें।

(5). आज दिनाँक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा नव वर्ष के दृष्टिगत शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु परिक्रमा मार्ग में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क पर अवैध रुप किए गये अतिक्रमण को हटवाया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार पाल तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 01.01.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2020 धारा 376 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त छोटू उर्फ तेज प्रताप पुत्र मुन्नूलाल गुप्ता निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 05.04.2020 को एक वादिया द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त छोटू उर्फ तेजप्रताप निवासी उपरोक्त द्वारा उनकी मानसिक रुप से विक्षिप्त नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार किया। इस सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 37/2020 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना

तत्कालीन निरीक्षक श्री धर्मराज यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी। अभियुक्त को दिनाँक 06.04.2020 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 03.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 01.01.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 294/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 188 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त सालिकराम पुत्र किदेश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम कच्ची छावनी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3150/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5).
प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
07 अभियुक्त से 150 अदद देशी शराब बरामद।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 अभियुक्तों को 150 अदद देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री हरिकेश राय मय उ0नि0 श्री दशरथ सिंह मय हमराह आरक्षी अतुल मिश्रा थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त लालजी कोल पुत्र स्व0 कुनुवा कोल नि0 ग्राम अमचुर नेरुवा थाना मारकुण्डी चित्रकूट को 17 अदद देशी शराब पाउच ब्राण्ड मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह मय हमराह आरक्षी पवन यादव व आरक्षी शिवम मिश्रा थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त सुन्दरलाल पुत्र समलिया निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 24 अदद देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह मय हमराह आरक्षी पवन यादव,आरक्षी शिवम मिश्रा व आरक्षी हेमन्त आर्य व महिला आरक्षी निधि सेंगर थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र पुन्नी निवासी अरवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 21 अदद देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iv). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह मय हमराह आरक्षी संतोष कुमार थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त बाबूलाल उर्फ बारूलाल पुत्र संतोष कुमार निवासी ऊसरी पुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 21 अदद देशी शराब मस्तीहू ब्रान्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव मय हमराह उ0नि0 रवीन्द्र कटियार,मुख्य आरक्षी दौलत,आरक्षी चन्दन थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी आशीष सिंह,आरक्षी रविन्द्र कुमार व आरक्षी अनुज सिंह द्वारा अभियुक्त शान्ति मोहन पुत्र हरिवीर जाटव निवासी ग्राम रसीलपुर थाना माता बसईया जिला भिंड म0प्र0 को 26 अदद देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त ऋतुराज पुत्र कृष्णकुमार निवासी कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 21 अदद देशी पाउच शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।